**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–2) विभाग**

क्रमांकः– प. 10(4)कार्मिक / क–2 / 2023–08017 जयपुर, दिनांक : 24/05/2023

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

## <u>परिपत्र</u>

विषयः– सभी संवर्गो एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति संबंधी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद / संवर्गो की प्रत्येक वर्ष एक अप्रेल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

एक अप्रेल से नया वित्तीय वर्ष 2023–24 प्रारंभ हो चुका है। अतः समस्त प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्षों / नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची प्रसारित करावें एवं 31 अगस्त तक आवश्यक रूप से सभी संवर्गो की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2023–24 में की गई घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 द्वारा विविध सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में 2 वर्ष तक के शिथिलन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः जिन संवर्गो में डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु अनुभव / सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है, अधिसूंचना दिनांक 15.05.2023 के अनुसार अनुभव में शिथिलन सहित डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

Document certified by HEMANT KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.
Digitally Signed by null
Designation : Principal
Secretary To Government
Date :24-05-2023 11:38:01

27/2023

RajKaj Ref No. : 3873720